2020/00208

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट — बनाम — अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट

श्रीमती जमना देवी पत्नि श्री कानाराम
जाति मेघवाल
निवासी मण्डवारिया वाया जावाल
जिला सिरोही

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 10 वर्ष 2020

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
17.08.2020	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 12.05.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सरपंच चुनाव 2020 में उसके द्वारा दिनांक 24.02.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था फिर भी आरओ द्वारा आवेदन खारिज नहीं किया गया एवं एक आवेदन इसी से सम्बन्धित कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जो पत्र क्रमांक/न्याय/1280 दिनांक 26.02.2020 द्वारा पुलिस अधीक्षक सिरोही को भेजा गया उस पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को दिनॉक 12.05.2020 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि सरपंच चुनाव 2020 में उसके द्वारा दिनांक 24.02.2020 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था फिर भी आरओ द्वारा आवेदन खारिज नहीं किया गया एवं एक आवेदन इसी से सम्बन्धित कलक्टर कार्यालय में प्रस्तुत किया गया जो पत्र क्रमांक/न्याय/1280 दिनांक 26.02.2020 द्वारा पुलिस अधीक्षक सिरोही को भेजा गया इस सम्बन्ध में अपीलांट को जरिये पत्र क्रमांक 35 दिनांक 15.05.2020 द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिरोही को लिखा गया। पुलिस विभाग के अपील अधिकारी जिला कलक्टर सिरोही नहीं है। बिन्दु सं. 01 की सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय सिरोही से सम्बन्धित है अतः उस पर की गई कार्यवाही से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो । (भगवती प्रसाद) जिला कलक्टर, सिरोही	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.01.12 16:46:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner